"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

आदेश

क्रमांक-एफ-42/न.पा./रानिआ/समय अनुसूची/2011/1923.—कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) जिला बिलासपुर ने सूचित किया है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी.सी./6350/2011 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2011 में नगर पंचायत सकरी जिला-बिलासपुर के निर्वाचन के बारे में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-33/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2011/1854 दिनांक 29-11-2011 द्वारा जारी नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन के लिए समय अनुसूची (कार्यक्रम) अधिसूचना को आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है. प्रकरण में ध्यानपूर्वक विचार उपरांत छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क एवं सहपठित नियम 23 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग के उक्त आदेश क्रमांक एफ 33/नपा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2011/1854/दिनांक 29-11-2011 के द्वारा उक्त निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 के तहत जारी उक्त समय अनुसूची (कार्यक्रम) को मात्र नगर पंचायत सकरी जिला बिलासपुर के अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुरूप आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है.

हस्ता./-

(आई.आर. देहारी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.